"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2005—आश्विन 8, शक 1927

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2005

क्रमांक /261/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री स्वामी नारायण भद्र आचार्य, ज्ञानी खूबचंद बघेल वार्ड रिंग रोड नं. 1, रायपुर एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 1-9-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	"मां श्री शारदा माता योग न्यास" डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड, रायपुर रिंग रोड, रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खाता क्र. 2741 राशि 2000=00 रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.